देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

क्रमांक – प्रशा/समीक्षा बैठक/2020/147 दिनांक : 11 FEB 2020

आदेश

एतद्द्वारा आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से प्राप्त पत्र क्र.7768/आउशि/अकादमी/2020 दिनांक 7/2/2020 संलग्न है। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 3/2/2020 का कार्यवाही विवरण पर अनिवार्यतः कार्यवाही सुनिश्चित की जाना है।

संलग्न कार्यवाही विवरण पत्र में दिये गये पांच बिन्दुओं के संबंध में कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, तथा किए गए पालन प्रतिवेदन की रिपोर्ट कुलसचिव कार्यालय को भेजे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक – प्रशा/समीक्षा बैठक/2020/147 दिनांक : 11 FEB 2020

प्रतिलिपिः–

1. डॉ.धीरेन्द्र शुक्ल,विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं संलग्नानुसार कार्यवाही विवरण का पालन सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद की ओर कार्यवाही हेतु।
4. विभागाध्यक्ष, कम्प्युटर अध्ययनशाला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी मूल्यांकन केन्द्र, केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उप कुलसचिव (शैक्षणिक) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक/स्थापना/विकास/गोपनीय/परीक्षा) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रशासकीय विभाग कार्यालय मूल नस्ती।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

कार्यालय ,आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक: 177/आउशि / अकादमी / 2020 भोपाल, दिनांक: 07.02.2020

प्रति

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा म.प्र.
2. समस्त कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
3. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल

विषयः– आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 03.02.2020 का कार्यवाही विवरण।

संदर्भः– सत्र 2020–21 की ई–प्रवेश एवं सम्बद्धता की प्रकिया के संबंध में दिनांक 03.02.2020 को बैठक के संबंध में।

––0––

आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश श्री डी.पी. आहूजा की अध्यक्षता तथा श्री वेदप्रकाश, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा की उपस्थिति में समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, समस्त कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं समस्त विश्वविद्यालय आई.टी. प्रभारी तथा एम.पी.ऑनलाइन भोपाल के सी.ई.ओ. एवं अन्य सदस्य की समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 03.02.2020 को पूर्व निर्धारित एजेण्डा अनुसार किया गया। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

(1) **सत्र 2020–21 की ई–प्रवेश प्रक्रियाः** अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार जुलाई 2020 से महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किए जाने की दृष्टि से सत्र 2020–21 के अंतर्गत ई–प्रवेश से संबंधित समय–सारणी पर चर्चा की गई। समय–सारणी अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक महाविद्यालयों द्वारा अपने महाविद्यालय की प्रोफाईल पोर्टल पर अद्यतन किया जाना है, इसके साथ ही संबंधित अग्रणी प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन की कार्यवाही 10 मई 2020 तक सुनिश्चित की जाएगी। सत्र 2020–21 के लिए ई–प्रवेश प्रकिया का आरंभ 11 मई 2020 से किया जाएगा। प्रथम चरण में स्नातक स्तर पर 11 मई 2020 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 21 मई 2020 से आवेदकों हेतु पंजीयन तथा दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य आरंभ किया जाना प्रस्तावित किया गया है। स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर एक चरण तथा सी.एल.सी. के दो चरण प्रस्तावित किये गए हैं। आयुक्त द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जुलाई 2020 के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक कार्य अनिवार्य रूप से महाविद्यालयों में प्रारंभ किये जाये तथा ई–प्रवेश 2020–21 से संबंधित समय–सारणी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(2) **सत्र 2020–21 से स्नातक द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के ऑनलाईन प्रवेशः** सत्र 2020–21 से स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में केन्द्रीयकृत ऑनलाईन प्रवेश के संबंध में आयुक्त द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गए कि इस प्रयोजन हेतु समय–सारणी के साथ एक यूनिफार्म आवेदन पत्र डिजाईन कर पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए ताकि उक्तानुसार विद्यार्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित किया जा सके। समस्त अतिरिक्त संचालकों तथा कुलसचिवों को उक्त प्रक्रिया का पालन महाविद्यालयो में कराये जाने के निर्देश आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए।

(3) **सत्र 2019–20 के परीक्षा परिणामः** अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से आयुक्त द्वारा समस्त कुलसचिवों तथा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को यह निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा परिणाम अविलंब जारी कराये जायें। साथ ही परीक्षा संबंधी समस्त कार्य जैसे पेपर सेटिंग, वीक्षण कार्य, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणाम तैयार कर जारी करना आदि को अनिवार्य कार्यों की श्रेणी में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को आयुक्त द्वारा यह निर्देशित किया गया कि अपने–अपने संभाग में क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक परीक्षा कार्यों के संचालन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा क्षेत्राधिकार के समस्त महाविद्यालयों में पदस्थ प्राध्यापकों से विश्वविद्यालयों का परीक्षा संबंधी उक्त कार्य समय–सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक वार्षिक/ सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं की प्रस्तावित समय–सारणी के दौरान किसी भी प्राध्यापक को अवकाश की पात्रता नहीं होगी तथा अपरिहार्य स्थितियों में अवकाश की स्वीकृति संभागीय नोडल अधिकारी अर्थात क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की अनुमति के पश्चात ही संबंधित प्राध्यापक को परीक्षा अवधि में अवकाश की पात्रता होगी। परीक्षा कार्य में संलग्न प्राचार्य, प्राध्यापक तथा तृतीय व चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी को नियमानुसार प्रदान किये जाने वाले मानदेय का भुगतान समय–सीमा में कुलसचिव संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व वर्ष के परीक्षा संबंधी लंबित देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाये। आयुक्त द्वारा यह निर्देशित किया गया कि परीक्षा संबंधी कार्यों में अभिरूचि न रखने वाले प्राध्यापकों की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ऐसे प्राध्यापकों के उस वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन में इस तथ्य की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रकों व कुलसचिवों को परीक्षाओं के आयोजन तथा अविलंब परीक्षा परिणामों को जारी किये जाने के संबंध में बैठक में निर्धारित समय–सीमा का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किये जाने के संबंध में आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया।

(4) **स्वशासी महाविद्यालयों के परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय पोर्टल पर अद्यतन करानाः** अनेक स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् परीक्षा परिणामों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपडेट नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त द्वारा समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को यह निर्देश प्रदान किए गए कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त स्वशासी महाविद्यालयों के परीक्षा परिणाम संबंधित विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 15 दिवस की समय–सीमा में अपडेट कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) **सत्र 2020–21 में अशासकीय महाविद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण पर चर्चाः** अशासकीय महाविद्यालयों में संबद्धता के लिए शासन व विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले संयुक्त निरीक्षण के संबंध में आयुक्त द्वारा समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों तथा कुलसचिवों को निर्देशित किया गया कि संयुक्त निरीक्षण में शासन के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किए जाने हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में से जिलेवार 10

प्राध्यापकों का पैनल नामांकित करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा अशासकीय महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान शासन के प्रतिनिधि के रूप में इस पैनल में से 1 प्राध्याएक को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण का कार्य सुनिश्चित कराया जाए तथा अनिवार्य रूप से 30 अप्रैल 2020 तक आवेदित अशासकीय महाविद्यालयों को संबद्धता जारी की जाए।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

7/2/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

क्रमांकः 178/आउशि/ अकादमी /2020 भोपाल, दिनांकः 07.02.2020

प्रतिलिपि :

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. प्रभारी आई.टी.सेल. संचालनालय, उच्च शिक्षा की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश